रजिस्ट्री सं. सी. (डी.एल.)-72 REGISTERED No. D. (D.L.)-72

26/6/86

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 229] नई दिल्ली, सोमवार, मई 12, 1986/वैसाख 22, 1908
No. 229] NEW DELHI, MONDAY, MAY 12, 1986/VAISAKHA 22, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मई, 1986

सं. 309/86-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 743(अ):—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व

विभाग की अधिसूचना सं. 155-सीमाशुल्क, तारीख 28 मई, 1985 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, "शीर्ष सं. 84.09" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "शीर्ष सं. 84.07 या 84.08" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

[फा. सं. 528/42/86-सीमाशुल्क (टीयू)]

सुनील कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th May, 1986

No. 309|86-CUSTOMS

G.S.R. 743(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue No. 155-Customs, dated the 28th May, 1981, namely :—

In the said notification, for the words and figures "Heading No. 84.09", the words and figures "Heading No. 84.07 or 84.08" shall be substituted.

[F. No. 528|42|86-Cus(TU)]

SUNIL KUMAR, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986